रैजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 15 मई, 1987/25 वैशाख, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(ख–अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-171002, 28 जनवरी, 1987

नं० जी० ए० बी०–1 ए (4) 4/84.—हिमाचल प्रदेश सरकार, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लैण्ड रैवन्यू ऐक्ट, 1954 (1954 का 6) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश जिला मण्डी में एक नई उप-तहसील कोटली के सृजन का जिसका मुख्यालय एवं क्षेत्रीय अधिकारिता उसके सामने दर्शित की गई है,

तुरन्त आदेश देते हैं :—

अधिकारिता

क्र0सं0	तहसील का नाम	नई सृजित उप-तहसील का नाम	मुख्यालय	पटवार वृतों के नाम
1.	मण्डी सदर	कोटली	कोटली	(1) कडकोह (2) बरनोट (3) सरवाडी (4) समराहन (5) कोटली (6) भरगांव (7) कोट (8) नालसन (9) साईगलू (10) कुटली (11) सेंहली

आदेश द्वारा,
पी0 के0 मट्टू,
मुख्य सचिव ।

[*Authoritative English test of the Government Notification No. GAB-1A(4)4/84, dated 28th January*, 1987 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India.*]

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 28*th January*, 1987

No. GAB-1A(4)4/84.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act 6 of 1954), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the creation of new Sub-Tehsil Kotli, in Mandi district with the headquarter and territorial jurisdiction shown against it below, with immediate effect:—

JURISDICTION

Sr. No.	Name of the Tehsil	Name of the newly created Sub-Tehsil	Headquarters	Name of the Patwar Circle
1.	Mandi Sadar	Kotli	Kotli	(1) Karkoh (2) Barnota (3) Sarwari (4) Samrahan (5) Kotli (6) Bhargaun (7) Kot (8) Nalsan (9) Saiglu (10) Kutli (11) Sehli

By order,
P. K. MATTOO,

श्रम, रोजगार तथा मुद्रण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 मार्च, 1987

संख्या 2-22/85 श्रम.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह अपेक्षित है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित समस्त "सिंचाई उद्योग" की सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम सं0 14) की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत आते हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु जनोपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए ।

2. और यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह भी प्रतीत होता है कि लोक हित में यह अपेक्षित है कि उक्त सेवाओं को जनोपयोगी सेवा छ: (6) महीने तक करना अनिवार्य है ।

3. अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 2 के खण्ड (एन) के उप-खण्ड (VI) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थित समस्त 'सिमिन्ट उद्योग' की सेवाओं को जनोपयोगी सेवा उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु छ: (6) मास तक की अवधि के लिए सहर्ष तुरन्त घोषित करते हैं ।

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

[*In pursuance of clause* (3) *of Article* 348 *of Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to publish the English text of Notification No. LSG* 7-53/67-*III, dated* 24-2-1987 *for the general information of the public*].

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 24*th February*, 1987

No. LSG.7-53/67-III.—In exercise of the powers conferred by clauses (*d*) and (*e*) of sub-section (i) of section 257, of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 (Act No. 19 of 1968) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the following official and non-official member of the Notified Area Committee, Nagrota Bagwan in District for a period of three years, with immediate effect:—

Official Members	*Non-official Members*
1. Sub-Divisional Magistrate, President	1. Shri Harbhagwan Khosla s/o Shri Sudama Mull.
2. Assistant Engineer, Himachal Pradesh Public Works Deptt. (B&R) Nagrota Bagwan.	2. Shri Laxmi Chand Mehta s/o Shri Birbal Mehta.
3. Asstt. Engineer, H.P. State Electricity Board, Nagrota Bagwan.	3. Shri Pardeep Kumar Gupta s/o Shri Roshan Lall.
4. Asstt. Engineer, H.P. Public Works Department, Nagrota Bagwan (Irrigation and Public Health).	4. Shri Atma Ram Mehra s/o Shri Lehnu Ram.

5. Medical Officer, Incharge, Primary Health Centre, Nagrota Bagwan.

5. Shri Suraj Prakash s/o Shri Ishwar Dass.
6. Shri Roshan Lall s/o Shri Bihari Lall.
7. Shri Pritam Chand s/o Shri Dogru Ram Harijan Kir Chamba.
8. Shri Satish Kumar Sarotri s/o Shri Prem Lal, Sarotri.

By order,
Sd/-
Secretary.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 17 मार्च, 1987

संख्या पी० सी० एच०–एच० ए० (5) 84/86.—क्योंकि ग्राम पंचायत डरवाड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, ने अपने प्रस्ताव संख्या 5, दिनांक 12–7-1986 में यह सूचित किया है कि श्री पृथी पाल, पंच, ग्राम पंचायत की बैठकों से लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं ।

क्योंकि उपरोक्त विषय की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत जिला पंचायत अधिकारी मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते है । वे अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश मण्डी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करेंगे ।

हस्ताक्षरित/-
उप-सचिव ।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 मार्च, 1987

संख्या 3-15/85-ई०एल०एन—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/84-XXXI, दिनांक 4 मार्च, 1987, तदानुसार 13 फाल्गुन, 1908 (शक्), हिन्दी रूपान्तर सहित सर्व साधारण की सूचना हेतू पुनः प्रकाशित करता हूं ।

आदेश से,
अत्तर सिंह,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi:
the 4th March, 1987
Dated Phalguna 13, 1908 (S)

NOTIFICATION

S.O.—Whereas the Election Commission of India is satisfied that as a result of its poll performance at the general election to the Legislative Assembly held in February, 1987, in the State of Mizoram the Mizo National Front is entitled for registration and recognition as a

State Party in the State of Mizoram in terms of paragraph 3 and 6 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

And whereas the Commission has decided to recognise the Mizo National Front as a State Party in the State of Mizoram and reserve the symbol "Tiger" for the said party in that State;

Now, therefore, in pursuance of clause (*b*) and (*d*) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendments in its notification No. 56/84-I, dated the 13th November, 1984, published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3(iii), dated the 16th November, 1984, as amended from time to time, namely:—

(1) In Table 2 of the said notification, against the State of Mizoram, under columns 2 and 3 of the Table, *for* the entry "People's Conference........Scales", the following entries shall be *substituted:*—

"(1) Mizo National Front..............................Tiger
2. People's Conference..............................Scales".

(2) In Table 4 of the said notification, against item No. 30. Mizoram mentioned in column 1 thereof the entry "17.Tiger" specified in column 2 thereof shall be deleted and the existing entry "18" shall be renumbered as "17".

The recognition granted to the above-mentioned political party is subject to the following conditions:—

(*i*) the party shall communicate to the Commission without delay any change in its name and head office, office bearers and their addresses and political principles polcies and objectives and any change any other material matters;

(*ii*) the party shall intimate the Commission immediately whenever any amendments are issued to party constitution along with the relevant documents like the notice for the meeting, minutes of the meeting where the amendments have been carried etc.

(*iii*) the party shall maintain all the records like minutes books, accounts books, membership register, receipt books, etc. properly;

(*iv*) the said records shall be open for inspection at any time by the authorised representative(s) of the Commission; and

(*v*) the recognition granted shall be reviewed by the Commission from time to time.

[No. 56/84-XXXI]

By order,
R. P. BHALLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली:
4 मार्च, 1987
तारीख————————
13 फाल्गुन, 1908 (शक्)

अधिसूचना

का0आ0.—भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आंवटन) आदेश, 1968 के पैरा 3 तथा 6 के अनुसार मिजोरम राज्य से विधान सभा के लिए फरवरी, 1987 में हुए साधारण

निर्वाचन में प्राप्त किए गए अपने मतों के परिणाम स्वरूप मिजो नैशनल फ्रंट मिजोरम राज्य में एक राज्यीय दल के रूप में पंजीकरण तथा मान्यता प्राप्त करने के लिए हकदार हैं;

और आयोग ने मिजो नैशनल फ्रंट के मिजोरम राज्य में एक रज्यीय दल के रूप में मान्यता देने और राज्य में उक्त दल के लिए "चीता" निर्वाचन-प्रतीक आरक्षित करने का निर्णय लिया है ;

अत: अब, निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आंवटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ख) और (घ) तथा उप-पैरा (2) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II खण्ड 3 (III), दिनांक 16 नवम्बर, 1984 में प्रकाशित और समय-समय पर यथा-संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 56/84-I, दिनांक 13 नवम्बर, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :—

(1) उक्त अधिसूचना की सारणी 2 में मिजोरम राज्य के सामने, सारणी के स्तम्भ 2 और 3 के अधीन "पीपुल्स कांफ्रैंस. . . . . तराजू" प्रविष्टि के स्थान पर:—

"1. मिजो नैशनल फ्रंट . . . . . चीता
2. पीपुल्स कांफ्रैंस. . . . . तराजू"

प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी।

(2) उक्त अधिसूचना की सारणी 4 में, स्तम्भ 1 में उल्लिखित मद सं0 30 मिजोरम के सामने, उसके स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्रविष्टि "17. चीता" को हटा दिया जाएगा और विद्यमान प्रविष्टि "18" को पुन: संख्यांकित करके "17" कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त राजनैतिक दल को प्रदत्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन है:—

(1) दल, बिना देरी किए निर्वाचन आयोग को अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पदाधिकारियों के पत्ते और राजनैतिक सिद्धांतों, नीतियों, लक्ष्यों और उद्देश्यों में किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में सूचित करेगी ;

(2) दल, जब कभी दल के विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन करता है तो उसकी सूचना सुसंगत दस्तावेजों जैसे संशोधनों पर विचारार्थ बैठक की सूचना, बैठक के लिए कार्यसूची, उस बैठक का कार्यवृत्त जिसमें संशोधन किए गए, आदि के साथ तत्काल निर्वाचन आयोग को सूचित करेगा ;

(3) दल सभी अभिलेखों जैसे कार्यवृत्त पुस्तकों, लेखा बहियों, सदस्यता रजिस्टरों, रसीद बहियों आदि का समुचित रूप से रख-रखाव करेगा ;

(4) निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उक्त अभिलेखों का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा; और

(5) निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई मान्यता का समय-समय पर पुनरावलोकन किया जाएगा।

[संख्या 56/84-31]

आदेश से,
आर0 पी0 भल्ला,
सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।